

30⁷/₂₅

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
वादी व वादी अधिवक्ता को रुक-रुक कर
उत्तर आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित
नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत
धारा 88, 91, 188, 209 RPA अदम पैरवी,
अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली विधि होकर नम्बर से कम
होकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)